

बैठक आयोजित

टीका। एसआईआर के सम्बन्ध में गुरुवार को कांग्रेस कमेटी देहात ब्लॉक टॉक द्वारा मंडल हथौना, बमौर, घांस, छान, मेंन्दवास मंडल अध्यक्ष व मंडल प्रभारी, बीएलए व कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर एसआईआर के बारे में जानकारी दी गई।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुख्यमा नम्बर 537/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

सूचिक श्री मनोज कुमार सिंह पुत्री श्री रामवीर सिंह निवासी 1-बी, कल्याण मन्दिर के पास, गुर्जर घाटी, जयमहल, अजमेर रोड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) केअन्तर्गत न्यू इण्डिया अलायन कार्यालय पता 663, अजयलाल मुंशी का रास्ता, हनुमान मन्दिर के पास, चांदपाल बाजार, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में आपत्तिजन्य, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निविद्ध अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निधारित रीति से निर्गमित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख 20.01.2026

मोहर

अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुख्यमा नम्बर DEVR/JAIPUR/IR/ST/2025/886

सूचिक प्रार्थी श्री DEEPAK JALAN, 82, HARI MARG CIVIL LINES JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत अन्याय प्रवर्तनलेट फाउण्डेशन, C, 57 BASEMENT, LALKOTHI JANGPATH JAIPUR RAJ. के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्त्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रन्त्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निविद्ध अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निधारित रीति से निर्गमित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27.01.2026

मोहर

अदालत

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुख्यमा नम्बर 539/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

सूचिक श्री हरपूत सिंह चौधरी पुत्र श्री सवाई राम जाट निवासी 412 भारदूर जी की दाणी, कालवाड रोड, भैरवावा, जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) केअन्तर्गत एस. आर. वाद विद्या मन्दिर समिति कार्यालय पता- भैरवावा, वाया किसानवाड देनावल, तहसील किसानवाड रनावल, जिला जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्त्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रन्त्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निविद्ध अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निधारित रीति से निर्गमित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 20.01.2026

मोहर

अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुख्यमा नम्बर 538/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

सूचिक श्री कुरालतल जट जैन पुत्री श्री परसन चन्द जैन निवासी 50-ए, सरस्वती नगर, गोल्ड सुख के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्त्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) केअन्तर्गत कृष्णा हमलता गांधी चैरिटेबल सोसाइटी कार्यालय पता 50-ए, सरस्वती नगर, गोल्ड सुख के पीछे, मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्त्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिन के भीतर उक्त प्रन्त्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निविद्ध अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निधारित रीति से निर्गमित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 20.01.2026

मोहर

अदालत

सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

नम्बर मिलाइए

9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार ने बीएलओ को किया सम्मानित

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले में परिगणना कार्य प्रगति पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शत प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले 4 बीएलओ को सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चौमू विधानसभा क्षेत्र के ओमप्रकाश स्वामी, चाकसू विधानसभा क्षेत्र के बनवारी लाल शर्मा, झोटवाडा विधानसभा क्षेत्र के सुनील कुमार बैरवा एवं फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के रमेश कुमार नारनोलिया को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिले के अन्य बीएलओ से सम्मानित हुए बीएलओ से प्रेरणा लेते हुए जल्द से जल्द शत प्रतिशत डिजिटलीकरण के लक्ष्य को हासिल करना का आा न किया। उन्होंने बताया कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 40 हजार 155 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 30 हजार 971 का डिजिटलीकरण, हवामंथल विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 68 हजार 844



जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शत प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल करने वाले 4 बीएलओ को सम्मानित किया।

परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 96 का डिजिटलीकरण, बस्सी विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 57 हजार 714 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 32 हजार 35 का डिजिटलीकरण, आमेर विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 2 हजार 421 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 43 हजार 224 डिजिटलीकरण, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 65 हजार 765 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं

प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 38 हजार 213 का डिजिटलीकरण, जमवारामगढ विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 36 हजार 849 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 14 हजार 285 का डिजिटलीकरण, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 20 हजार 214 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 61 हजार 146 का डिजिटलीकरण, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 45 हजार 8 परिगणना प्रपत्रों का वितरण

■ **जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के अन्य बीएलओ से की प्रेरणा लेने की अपील**

एवं 67 हजार 448 का डिजिटलीकरण, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 51 हजार 204 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 85 हजार 50 का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख 59 हजार 711 परिगणना प्रपत्रों का वितरण एवं 1 लाख 1 हजार 97 का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके तहत जिले में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक परिगणना चरण का संचालन किया जा रहा है। इस चरण में परिगणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण एवं डिजिटलीकरण सतत रूप से किया जा रहा है। जिले में परिगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण की प्रगति के अनुसार विधानसभा क्षेत्र बस्सी ने सर्वाधिक 55.53 फीसदी प्रपत्रों के डिजिटलीकरण के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

बीएलओ ने विभिन्न समस्याओं के संबंध में सौपा ज्ञापन

टोंक। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ शाखा टोंक के निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को आ रही विभिन्न समस्याओं के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा। संघ ने ज्ञापन में बताया कि मरदाताओं द्वारा कार्यक्रम में रचिन लेने और असहयोग करने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं तथा विवाहित महिलाओं की जानकारी भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शिक्षकों ने शिक्षाया की है कि फील्ड में कार्यरत अधिकारी बीएलओ को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, कार्य करने के बावजूद 15-15 घंटे तक काम कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रत्येक स्कूल से एक शिक्षक को बीएलओ के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। संघ ने बताया कि स्कूलों में पहले से ही शिक्षकों के पद रिक्त हैं, इसके साथ ही 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। इस स्थिति के कारण राज्य स्तरीय परीक्षाओं के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू किया न्याय आपके द्वार अभियान

किशनगढ बासा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित न्याय आपके द्वार तीन माह के विशेष अभियान कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल के अध्यक्ष बी एल बुगालिया व सचिव रणवीर सिंह के आदेशानुसार पीएलवी सूरजभान कछवाहा व पीएलवी गुलाब शर्मा ने किशनगढ बास के ग्राम टहटंडा, खेडला, दादरहेडा व ग्राम नांगल मौजिया में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर डोर दू डोर समस्याओं को जाना व व्यक्तिगत एवं जन उपयोगी समस्याओं के आवेदन पत्र लिये। पीएलवी सूरजभान कछवाहा व गुलाब शर्मा ने बताया गुरुवार को लोक उपयोगिताओं की समस्याओं के सुलभ एवं त्वरित समाधान को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरथल के अध्यक्ष बी एल बुगालिया व सचिव रणवीर सिंह के आदेशानुसार किशनगढ बास क्षेत्र के ग्राम टहटंडा, खेडला, दादरहेडा व ग्राम नांगल मौजिया में विधिक जागरूकता शिविर

■ **तीन माह तक विशेष अभियान के तहत गांव-गांव में लगाएं जाएंगे शिविर**

■ **अभियान के तहत बिना किसी खर्च के लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा निराकरण**

आयोजित किया गया व गांव में डोर दू डोर लोगों से बातचीत कर समस्याओं को जाना। पीएलवी सूरजभान ने बताया कि इस दौरान शिविर में बिराली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन शैक्षणिक सहित अन्य समस्याओं का निराकरण अभियान के तहत बिना किसी खर्च के लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा।



गंगा प्रवाह यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया ।

विश्राम शहर में होगा। इस दौरान पौधारोपण व सा सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। इस दौरान गंगा प्रवाह यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया। इसके बाद यात्रा अलवर से कोटा व दूधपुर होते हुए गुजरात में प्रवेश करेगी।

यात्रा में जनप्रतिनिधि,पाटी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार 26 नवंबर को जयपुर से यमुना प्रवाह यात्रा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य वरिष्ठ जनों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ की जाएगी।

शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य करने पर तीन बीएलओ सम्मानित

अलवर। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत अपने भाग के मतदाताओं के गणना प्रपत्रों (ईफ) का डिजिटाइजेशन कार्य शत-प्रतिशत

■ **बीएलओ दिनेश कुमार सैनी ने राज्य में सबसे पहले किया शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन, हरनर (थानागाजी) बीएलओ कमलेश शर्मा से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया संवाद**

करने पर अलवर जिले के तीन बीएलओ को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वचुअल एवं जिला निर्वाचन



जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर्तिता शुक्ला ने बीएलओ को प्रशंसा पत्र एवं पेन ड्राइव भेंट कर सम्मानित किया।

अधिकारी डॉ. आर्तिता शुक्ला ने प्रशंसा पत्र एवं पेन ड्राइव भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया, जिसमें अलवर जिले के राजगढ-लक्ष्मणगढ विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 68 (पुराना राजगढ) के बीएलओ दिनेश कुमार सैनी, कटूमर

मुख्य मार्ग पर कीचड़ व गंदे पानी से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

नारायणपुर । ग्राम पंचायत चांदपुरी के गाँव राजपुरा सिक्ख में मुख्य सड़क मार्ग पर लंबे समय से जमा कीचड़ और गंदे पानी को लेकर ग्रामीणों का सन्न दूट गया। गुरुवार को ग्रामीणों ने मुख्य रास्ते पर एकत्र होकर पंचायत प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

ग्रामीणों ने बताया कि दूध की डेरी से लेकर रामकरण यादव के मकान तक करीब 2 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह कीचड़ और गंदे पानी से बढहाल पड़ा है। नालियों की व्यवस्था वर्षों से दुरुस्त नहीं की गई है तथा पानी निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय ग्रामीण हरि राम, नितिका जांगिड, मनोहर योगी और राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि मार्ग पर फैले कीचड़ के कारण पैदल चलना मुश्किल हो गया है, वहीं दोगधिया वाहन चालक व स्कूली बच्चों को रोजाना फिसलने और गिरने का खतरा बना रहता है।

ग्राम पंचायत द्वारा सफाई और सड़क सुधार के नाम पर बजट से लाखों रुपये खर्च दिखाए गए, लेकिन कार्य जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रामीणों

ने कहा कि कई बार ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों में सरपंच के प्रति रोष बढता जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही मार्ग का सुधार कार्य शुरू नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत कायापालट पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इधर थानागाजी विकास अधिकारी आमीर अली ने बताया कि वे जल्द ही मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण करेंगे और समस्या को समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञापन सौपा

टोंक। किसान महापंचायत संगठन के जिलाध्यक्ष गोपीलाल जाट नेतृत्व में टोंक कृषि उपज मंडी में उपवास आंदोलन किया।

का मूल आवंटन पत्र में. 582, 3 कैशा

रिपय कक्षा पर 05.11.2009 राजस्थान

आवासन मण्डल द्वारा श्रीमती दीपाली साहनी को जारी है मिलने पर सूचित करें। मो. 9828088194

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए समन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अजर जिला न्यायाधीश क्रम-1 जयपुर जिला

राजवाड विक्टू शिवालयार वकी.

वाद बाबत- विभाजन, घोषणा एवं कर्षा निषेधाज्ञा

बनान- (1) शक्ति देवी पुत्री स्व. श्री शिवनारायण, (2)

मुख्य शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री शिवनारायण निवासी-पौट

नंबर 391, 6-ठी, इंजीनियरिंग कॉलोनी, न्यायालय, न्यू सोमनर रोड, जयपुर। (3) नेहा नीलकंठ प्रौढी

श्री शिवनारायण निवासी-न. नं. 1780, वाक जाली

का रास्ता, चांदपोर, जयपुर।

वादी ने आपके विरुद्ध, ...के लिये वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 18 माह 12 सन 2025 को दिन मे 10.30 ए.एम. को आने के लिए उपर के दिने उपरवर्तक (सहित) होने के लिये सूचित दिया जाता है। आप न्यायालय में हस्त्य या किसी ऐसे वकील द्वारा उपरवर्तक हो सकाई हैं किसी समक्ष अनुपस्थिति में आप उक्त दो सेक या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रपत्रों का उत्तर दे सके। आपको यह निदेश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिक्रिया का लिखित साक्ष्य दायित्व करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है तथा कोई दिन पर आपकी प्रतिक्रिया या दायित्व सुचारुई को तय था प्रतिक्रिया आपूर्ति है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो आपकी प्रतिक्रिया में उपरवर्तक नही होगे तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित साक्ष्य के बाद गणपद्ध की जो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपरवर्तक नही होगे तो आपकी सूची में प्रिबिद्ध करें।